भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 873

दिनांक 24 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

नदियों को आपस में जोड़ना

873. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नदियों को जोड़ने की सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि एक ओर उत्तर बिहार में प्रत्येक वर्ष विनाशकारी बाढ़ आती है, जबकि दूसरी ओर दक्षिण बिहार को सूखे का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नदियों को आपस में जोड़ने में देरी के कारण प्रत्येक वर्ष बाढ़ से होने वाली तबाही को रोकने के लिए सरकार द्वारा इस दिशा में क्या ठोस प्रयास किए गए हैं।किए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क): भारत सरकार द्वारा देश के जल के अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों/क्षेत्रों में जल अंतरण करने के लिए नदियों को आपस में जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (एनपीपी) तैयार की गई थी। राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) को इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत नदियों को आपस में जोड़ने का कार्य सौंपा गया है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत 30 आईएलआर परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिनमें दो घटक अर्थात् हिमालयी घटक (14 परियोजनाएं) और प्रायद्वीपीय घटक (16 परियोजनाएं) हैं। ग्यारह (11) परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर), 26 लिंक परियोजनाओं की व्यवहार्यता रिपोर्ट (एफआर) और 30 लिंक परियोजनाओं की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (पीएफआर) का कार्य पूरा किया जा चुका हैं।

राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत आईएलआर परियोजनाओं की स्थिति का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

केन-बेतवा लिंक परियोजना (केबीएलपी): केबीएलपी, एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने की प्रथम परियोजना है, जिसका कार्यान्वयन शुरू हो गया है। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2021 में एक विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम अर्थात; केन-बेतवा लिंक परियोजना प्राधिकरण से 39,317 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता के साथ 44,605 करोड़ रुपये (2020-21 के मूल्य स्तर पर) की अनुमानित लागत के साथ कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित

किया गया था। इस परियोजना के मुख्य घटक, अर्थात् दौधन बाँध का कार्य आवंटित कर दिया गया है। इस परियोजना के कार्यान्वयन में केबीएलपीए की सहायता के लिए एक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता नियुक्त किया गया है।

(ख) और (ग): बिहार सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, बिहार राज्य बाढ़ प्रवण है। मुख्यतः उत्तरी बिहार, ऊपरी कैचमेंट क्षेत्रों, जो मुख्यतः नेपाल में स्थित हैं, में भारी वर्षा के कारण प्रत्येक वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। जबकि दक्षिणी बिहार में बाढ़ के साथ-साथ सूखे की समस्या भी रहती है।

एनपीपी के अंतर्गत लिंक परियोजनाओं की योजना और डिज़ाइन विवेकपूर्ण ढंग से इस प्रकार बनाई गई है कि जहाँ तक संभव हो, अधिशेष बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल का अंतरण किया जा सके ताकि बाढ़ और सूखे के प्रभावों को कुछ हद तक कम किया जा सके। बाढ़ प्रवण/जल की अधिकता वाले नदी घाटियों से बाढ़ के जल को जल की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ा जाएगा और इससे कमांड क्षेत्रों में भूजल स्तर, तालाबों और नहरों का पुनर्भरण भी होगा।

इसके अलावा, बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाओं की आयोजना और क्रियान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। इन प्रयासों को समर्थन देने के लिए, केंद्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहनात्मक वित्तीय सहायता दोनों प्रदान करती है।

संरचनात्मक बाढ़ प्रबंधन उपायों को मज़बूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने XIवीं और XIIवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया, जिसके तहत राज्यों को बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी सुधार और समुद्री कटाव से सुरक्षा से संबंधित कार्यों के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की गई। बाद में, इस पहल को वर्ष 2017-18 से वर्ष 2020-21 की अवधि के दौरान बाढ़ प्रबंधन और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रखा गया, और सीमित वित्तीय परिव्यय के साथ इसे वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया।

एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के अंतर्गत, कुल 48 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाएं, जिनकी अनुमानित लागत 1866.50 करोड़ रूपये है, कार्यान्वयन के लिए शामिल की गई हैं, जिनमें से 924.40 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता बिहार सरकार को जारी की जा चुकी है।

इसके अलावा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बिहार सहित सभी राज्यों को बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में बाढ़ मैदान ज़ोनिंग को अपनाने और लागू करने की सलाह दी गई है।

*****

अनुलग्नक-I

"नदियों को आपस में जोड़ना" के संबंध में दिनांक 24.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय अतारांकित प्रश्न संख्या 873 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

<u>एनपीपी के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा और मौजूदा स्थिति</u>

<u>प्रायद्वीपीय घटक</u>

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य	स्थिति
1	क. महानदी (मणिभद्रा) - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश (एपी) और ओडिशा	एफआर पूर्ण
	ख. वैकल्पिक महानदी (बरमूल) - ऋषिकुल्या - गोदावरी (दौलैस्वरम) लिंक	आंध्र प्रदेश और ओडिशा	एफआर पूर्ण
2	गोदावरी (पोलावरम)-कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक@	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना	एफआर पूर्ण
3	क. गोदावरी (इंचमपल्ली) - कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक	तेलंगाना	एफआर पूर्ण
	ख. वैकल्पिक गोदावरी (इंचमपल्ली)-कृष्णा (नागार्जुनसागर) लिंक *	तेलंगाना	डीपीआर पूर्ण
4	गोदावरी (इंचमपल्ली/एसएसएमपीपी) - कृष्णा (पुलिचिंताला) लिंक	तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
5	क) कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमासिला) लिंक	आंध्र प्रदेश	एफआर पूर्ण
	ख) वैकल्पिक कृष्णा (नागार्जुनसागर) - पेन्नार (सोमसिला) लिंक *	आंध्र प्रदेश	डीपीआर पूर्ण
6	कृष्णा (श्रीशैलम) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश	मसौदा डीपीआर पूर्ण
7	कृष्णा (अलमट्टी) - पेन्नार लिंक	आंध्र प्रदेश और कर्नाटक	मसौदा डीपीआर पूर्ण
8	क. पेन्नार (सोमसिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी	एफआर पूर्ण

	ख) वैकल्पिक पेन्नार (सोमसिला) - कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक *	आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुद्दुचेरी	डीपीआर पूर्ण
9	कावेरी (कट्टलाई) - वैगई - गुंडर लिंक	तमिलनाडु	डीपीआर पूर्ण
10	क. पार्बती-कालीसिंध - चंबल लिंक	मध्य प्रदेश (एमपी) और राजस्थान	एफआर पूर्ण
	ख. संशोधित पार्बती-कालीसिंध-चंबल लिंक (ईआरसीपी के साथ विधिवत रूप से एकीकृत)	मध्य प्रदेश और राजस्थान	मसौदा पीएफआर पूर्ण
11	दमनगंगा - पिंजल लिंक	महाराष्ट्र (केवल मुंबई को जल की आपूर्ति)	डीपीआर पूर्ण
12	पार-तापी-नर्मदा लिंक	गुजरात और महाराष्ट्र	डीपीआर पूर्ण
13	केन-बेतवा लिंक	उत्तर प्रदेश (यूपी) और मध्य प्रदेश	डीपीआर पूर्ण और परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है
14	पंबा - अचनकोविल - वैप्पर लिंक	तमिलनाडु और केरल	एफआर पूर्ण
15	बेदती - वरदा लिंक@@	कर्नाटक	डीपीआर पूर्ण
16	नेत्रवती - हेमवती लिंक**	कर्नाटक	पीएफआर पूर्ण

* मणिभद्र और इंचमपल्ली बांधों पर लंबित सहमति के कारण गोदावरी नदी के अप्रयुक्त जल को डायवर्ट करने के लिए एक वैकल्पिक अध्ययन किया गया था और गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुन सागर)-पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाओं की डीपीआर पूरी कर ली गई थी। गोदावरी-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजना तैयार की गई है जिसमें गोदावरी (इंचमपल्ली/जनमपेट)-कृष्णा (नागार्जुनसागर), कृष्णा (नागार्जुनसागर)-पेन्नार (सोमासिला) और पेन्नार (सोमसिला)-कावेरी (ग्रैंड एनीकट) लिंक परियोजनाएं शामिल हैं।

** कर्नाटक सरकार द्वारा येट्टिनाहोल परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, आगे और अध्ययन नहीं किए गए हैं, इस लिंक के माध्यम से डायवर्जन के लिए नेत्रावती बेसिन में कोई अधिशेष जल उपलब्ध नहीं है।

@ गोदावरी (पोलावरम) - कृष्णा (विजयवाड़ा) लिंक - यह परियोजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है।

@@ बेदती-वरदा लिंक - पीएफआर तैयार होने के बाद सीधे डीपीआर तैयार की गई, कोई एफआर तैयार नहीं की गई थी।

<u>हिमालयन घटक</u>

क्र.सं.	नाम	लाभान्वित राज्य/देश	स्थिति
1.	कोसी-मेची लिंक	बिहार और नेपाल	पीएफआर पूर्ण
2.	कोसी-घाघरा लिंक	बिहार, यूपी और नेपाल	एफआर पूर्ण
3.	गंडक - गंगा लिंक	यूपी और नेपाल	एफआर पूर्ण
4.	घाघरा-यमुना लिंक	यूपी और नेपाल	मसौदा एफआर पूर्ण
5.	सारदा-यमुना लिंक	यूपी और उत्तराखंड	एफआर पूर्ण
6.	यमुना-राजस्थान लिंक	हरियाणा और राजस्थान	एफआर पूर्ण
7.	राजस्थान-साबरमती लिंक	राजस्थान और गुजरात	एफआर पूर्ण
8.	चुनार-सोन बैराज लिंक	बिहार और उत्तर प्रदेश	मसौदा पीएफआर पूर्ण
9.	सोन बांध - गंगा लिंक की दक्षिणी सहायक नदियाँ	बिहार और झारखंड	मसौदा पीएफआर पूर्ण
10.	मानस-संकोश-तीस्ता-गंगा (एम-एस-टी-जी) लिंक	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	एफआर पूर्ण
11.	जोगीघोपा-तीस्ता-फरक्का लिंक (एम-एस-टी-जी का विकल्प)	असम, पश्चिम बंगाल और बिहार	पीएफआर पूर्ण
12.	फरक्का-सुंदरबन लिंक	पश्चिम बंगाल	एफआर पूर्ण
13.	गंगा (फरक्का) -दामोदर-सुवर्णरेखा लिंक	पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड	एफआर पूर्ण
14.	सुवर्णरेखा-महानदी लिंक	पश्चिम बंगाल और ओडिशा	एफआर पूर्ण

*****